

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जनवरी 2016—पौष 30, शक 1937

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. 84(9)-वि. निर्वा.-चार-2016-उपचुनाव-16.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 100-म. प्र.-वि. स.-1-2016, (उप निर्वाचन) दिनांक 20 जनवरी 2016 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, तारीख 20 जनवरी, 2016—30 पौष, 1937 (शक)

अधिसूचना

100-म. प्र. वि. स.-1-2016: (उप निर्वाचन)—यतः, मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में 65—मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री नारायण त्रिपाठी के त्याग-पत्र के परिणामस्वरूप उनका स्थान दिनांक 27 अगस्त, 2015 को रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन आयोजित करवाया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 एवं 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:—

(अ) मध्यप्रदेश राज्य में उक्त 65—मैहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबंधों के अनुसार 18 फरवरी, 2016 (गुरुवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:—

- | | | |
|-----|---|------------------------------|
| (क) | नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख: | 27 जनवरी, 2016 (बुधवार) |
| (ख) | नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: | 28 जनवरी, 2016 (गुरुवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख: | 30 जनवरी, 2016 (शनिवार) |
| (घ) | वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा: | 13 फरवरी, 2016 (शनिवार) |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा: | 18 फरवरी, 2016 (गुरुवार); और |
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road—New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 20th January, 2016—30 Pausha, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100-MP-LA-1-2016 (Bye).—WHEREAS, the seat of Shri Narayan Tripathi in the Legislative Assembly of the Madhya Pradesh State, elected from 65—Maihar Assembly Constituency has become vacant on 27th August, 2015 by reason of his resignation ; and

2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. NOW, THEREFORE, in pursuance of sub-section (1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

- (A) Calls upon the said 65—Maihar Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh, to elect, before the 18th February, 2016 (Thursday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;
- (B) Appoints, with respect to the said election—
- the 27th January, 2016 (Wednesday) as the last date for Making nominations;
 - the 28th January, 2016 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations;
 - the 30th January, 2016 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 13th February, 2016 (Saturday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
 - the 18th February, 2016 (Thursday) as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A. M. to 5.00 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.